प्रेस विज्ञप्ति

26 जुलाई, 2021

आदिवासियों पर प्रायोजित हिंसा एवं वन अधिकारों का हनन – हकों के लिए आदिवासी लामबंद, कंपनियों को जंगल सौंपने का विरोध

प्रेस विज्ञप्ति - 26.07.21

आदिवासियों पर प्रायोजित हिंसा एवं वन अधिकारों का हनन - हकों के लिए आदिवासी लामबंद, कंपनियों को जंगल सौंपने का विरोध

21 जुलाई को लगभग 3000 आदिवासी, जिनमे आधे से ज़्यादा महिलाएं थी, खंडवा (मध्य प्रदेश) के कलेक्टर और वन विभाग कार्यालयों को कई घंटों तक घेर कर एक आवाज़ मे बोले "यदि सरकार को कानून नहीं मालूम है तो हम सिखाएँगे"। वे विरोध कर रहे थे, 10 जुलाई को हुए बेदखली कार्यवाही का, जिस में ज़िले के नेगाँव - जामनिया में वन विभाग पुलिस और उनके द्वारा लाया गया भीड़ द्वारा 40 आदिवासी परिवारों के घर और खेत को नष्ट किया गया और उनके सब घरेलू सामान के साथ 130 क्विंटल अनाज, 63,000 रु नगद, 16 बकरियाँ, 309 मुर्गियाँ, 5 फोन, 4 साइकल इत्यादि सब लूटा गया। उनके खेत नष्ट कर उनमें जहरीले रसायन छिड्के गए। इन परिवारॉन के पास अभी तन पर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। खंडवा प्रशासन पर धाबा बोले आदिवासियों ने कहा कि यह पूरी कार्यवाही वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन है जिसके अनुसार वन अधिकार के दावों के जांच और मान्यता प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता है (**धारा 4(5)**)। यह "कार्यवाही" म.प्र हाइ कोर्ट के उस आदेश का भी उल्लंघन रहा है, जो कोरोना महामारी के कारण पहले 15 जुलाई और फिर 23 अगस्त तक किसी को भी बेदखल करने से प्रतिबंधित करता है (**WP 8820/2021 suo motu re:Covid**)। आदिवासियों ने प्रशासन से यह भी सवाल किया कि भीड़ द्वारा सामान लुटवाना कैसा " शासकीय कार्यवाही" है!

उल्लेखनीय है कि खंडवा मध्य प्रदेश के वन मंत्री, श्री विजय शाह का गृह ज़िला है।

"अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 [संक्षिप्त में 'वन अधिकार अधिनियम"] अंग्रेज़ जमाने से चलते आ रहे "ऐतिहासिक अन्याय" को खत्म कर आदिवासियों और अन्य वन समुदायों को व्यापक अधिकार देने की प्रक्रिया स्थापित करता है। यह 2008 से लागू है पर पिछले 14 वर्षों में इन अधिकारों को कानूनी मान्यता देने के लिए बहुत कम कार्यवाही हुई है और वन आधारित समुदाय आज भी असुरक्षित हैं और लगातार हिंसा का शिकार होते हैं। इस कानून के धारा 4 (5) द्वारा स्पष्ट निर्देशित है कि जांच और मान्यता प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी को भी बेदखल नहीं किया जा सकता है। पर दावों के संबंध में यह प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही नेगाँव- जामनिया के इन परिवारों को इस क्रूर हिंसाक तरीके से बेदखल किया गया! ये परिवार कई वर्षों से इस ज़मीन पर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश (SLP 15115/2011, दिनांक 13.08.2012) के पालन में खंडवा और अन्य जिलों मे आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के आदेश के लिए स्थापित "शिकायत निवारण प्राधिकरण" ने अपने फैसले दिनाक 07.11.2015 में पाया की ये परिवार वन अधिकार कानून के पारित होने के पहले से काबिज थे पर उन्हें बार बार बेदखल करने की कोशिश की जा रही है और तत्कालीन डीएफ़ओ / सम्भागीय प्रबन्धक के कानून और कोर्ट के आदेशों के प्रति "उदासीन और उपेक्षापूर्ण" पाया के कारण उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा किया।

10 जुलाई को महिलाओं सहित कई ग्रामीणों को पीटा गया। तीन व्यक्ति (रामलाल, महेश और सेकरिया) को मारते हुए खंडवा में डीएफ़ओ (वन विकास निगम) के कार्यालय में बंधक बनाया गया। उनके हाथ रस्सी से बंधे गए। जागृत आदिवासी दलित संगठन के तीन कार्यकता, नितिन वर्गीस, रमेश जाधव और अमरसिंग सोलंकी, जब डीएफ़ओ को वन अधिकार अधिनियम और हाइ कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे कार्यवाही वैधता पर सवाल उठाया, तो उन्हें भी जबरन उठाया गया और उसी ऑफिस मे बंधक बनाया गया। उनके फोन छीने गए, जो आज तक वापस नहीं लौटाए गए हैं। क्षेत्र मे ख़बर फैलने पर आस पास के गाँव के लगभग 200-300 आदिवासी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरणे पर बैठ गए, तब जा कर 10 घंटे बाद इन 6 व्यक्तियों को सुरक्षित छोड़ा गया। पर उनको कोरे कागजों पर साइन करवाया गया।

पीड़ित परिवार और जागृत आदिवासी दलित संगठन कई लिखित शिकायतों के माध्यम से मुख्य मंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, वन मंत्री श्री विजय शाह, आदिवासी कल्याण मंत्री श्रीमति मीना सिंह मांडवे, खंडवा ज़िले के प्रभारी मंत्री श्रीमति उषा ठाकुर तथा कलेक्टर और एसपी से मांग कर चुके हैं कि दोषी अधिकारियों पर निम्न कारणों से दंडात्मक कार्यवाहीकर गिरफ्तार किया जाए :

(1) वन अधिकार अधिनियम के धारा 4 (5) का उल्लंघन कर दावों के प्रक्रिया किए बिना बेदखली
(2) हाइ कोर्ट के आदेश के उल्लंघन कार्ट हुए महामारी के समय बेदखली
(3) अत्याचार अधिनियम के 3(1) (g) (r) (z),3 (2) (va) का उल्लंघन
(4) आदिवासी परिवारों के साथ डकैती और लूट
(5) 6 व्यक्तियों का अप हरण कर बंधक बनाए रखना

परंतु शासन और प्रशासन ने मौन साध लिया है।

आदिवासियों के साथ बार बार हिंसा: वन अधिकार अधिनियम के बावजूद बेदखली के प्रयास लगातार हो रहे हैं। साथ ही, आदिवासियों पर गोली चालान , उनके साथ मार पीट , उन्हें वन कार्यालयों मे बंधक बनाना, झूठे केसों मे जेल भेजने जैसे कई घटनाएँ बार बार हो रही हैं। कुछ घटनाओं के विस्तृत विवरण इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न नोट में है।

दावों के जांच प्रक्रिया मे उदासीनता और जानबूझकर विलंब: यह सब वन अधिकार अधिनियम के बावजूद हो रहा है। यह कानून ग्राम सभाओं पर केन्द्रित एक तीन स्तरीय जांच प्रक्रिया स्थापित करता है जिसके पूर्ण होने तक बेदखली प्रतिबंधित है। इस प्रक्रिया के पालन किए बिना 2019 तक 3.6 लाख दावों को अपात्र किए गए थे। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठा तब म.प्र शासन ने स्वीकारा कि ये त्रुटिपूर्ण तरीके से अपात्र पाये गए थे और इन दावों का पुनः जांच प्रक्रिया (ऑन लाइन वन मित्र पोर्टल द्वारा) शुरू की गयी थी। परंतु आभि भी, नेगाँव-जामनिया सहित अधीकांश गाँव के जांच प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुआ है। हाल के एक सूची के अनुसार पुनः जांच में 4,50,899 दावों में से **मात्र 13 %** (**59,920**) दावों की प्रक्रिया पूर्ण हुई हैं और उनमे से भी 53% अपात्र पाये गए हैं। **खंडवा ज़िले के 86 % (2416) दावे और बुरहानपुर ज़िले के 99.5 % (10,827) दावे लंबित है और उनमे प्रारंबिक प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुए हैं।**

वन संरक्षण के नाम पर आदिवासियों पर हमला पर लाखों एकड़ वन भूमि उद्योग और बड़े परियोजनाओं को भेंट : एक ओर आदिवासियों के सर पर हमेशा बेदखली का तलवार लटकता रेहता है, वे हमेशा असुरक्षित रहते हैं , वन संरक्षण के नाम पर उन्हें तरह तरह का हिंसा झेलना पड़ता है। पर दूसरी ओर, लाखों एकड़ वन भूमि उद्योग और परियोजनाओं को भेंट की जाती है। **मात्र खंडवा ज़िले मे 47,546 हैकटेर (1,17,439 एकड़) वन भूमि इंदिरासगर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, सिंघाजी थर्मल पावर से नष्ट हुए हैं। 2014-21 में केवल मध्य प्रदेश में 8433.33 हैकटैर (20,830 एकड़) हस्तांतरण हुआ है।** छतरपुर में 2.15 लाख से ज़्यादा पेड़ों का बक्सवाहा जंगल हीरे के खदानों के लिए खोदा जाना प्रस्तावित है।

संसदीय समिति के रिपोर्ट के अनुसार मात्र 5 साल (2013-18) मे 70,920 हैकटैर **(1,75,172 एकड़)** वन भूमि उद्योग को हस्तांतरित हुए हैं, जबकि 2003-18 के 15 सालों में 2,39,572 हैकटैर **(5.9 लाख एकड़)** अरधोसंरचना परियोजनाओं में नष्ट हुए हैं, और **हर साल औसतन 40,000 एकड़ वन भूमि ऐसे हस्तांतरित होते हैं**। ***(****Status of Forests in India, Report of Department Related Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment and Forests, 2019)*

कंपनियों के लिए वन , वन समुदायों के लिए बेदखली और हिंसा: पिछले वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कंपनियों को 40% वनों को "पुनःजीवित" करने के लिए सौंपने का प्रस्ताव भारी आदिवासी विरोध के बाद ही स्थगित किया गया। इस वर्ष के अप्रैल और जून में केन्द्रीय परियावरण मंत्रालय ने बड़े कंपनियों को न्योता दिया है कि वे औधोज्ञिक और व्यापारिक सहूलियत और मुनाफे के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कार्यक्रम के लिए आगे आयें और "एक्स्प्रेश्न ऑफ इंटरेस्ट" भरें। जबकि 2019 में वन अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित संशोधन का खुलासा हुआ था जिस में वन विभाग को ग्रामीणों के घरों मे घुस कर जबरन जपती, मारपीट करना, यहाँ तक गोली चलाने का अधिकार एवं पूर्व में सौंपे गए पट्टों को निरस्त करने की बात की गई है ! देश भर से आदिवासियों द्वारा इस प्रस्तावित संशोधन के कड़े विरोध के बाद इन पर रोक लगाई गई है, परंतु अभी तक इनको पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है।

रतन अलावे **अंतराम अवासे** **अशाबाई सोलंकी** **माधुरी** **नितिन**